


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 1979/साघ 28, 1900

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 1979/MAGHA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

बिदेश मंत्रालय

अधिमूर्चना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 1979

सा० का० लि० 77(अ):—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्र सरकार पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1979 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 की धनसूची 1 में :—

(1) क्रम संख्या 3 के सामने दी गई प्रविष्टियों के कालम 3 में, शब्द "उड़ीसा" हटा दिया जाएगा

(2) क्रम संख्या 15 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या जोड़ी जायेगी, यथा ---

1	2	3
"16(क) पासपोर्ट अधिकारी, भुवनेश्वर, (पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर)		उड़ीसा राज्य
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी, भुवनेश्वर, (पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर)		-वहीं-
(ग) जन-संपर्क अधिकारी, भुवनेश्वर, (पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर)		-वहीं-
(घ) अधीक्षक, भुवनेश्वर (पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर)"		-वहीं-

[VI/401/11/79]

के० ई० शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1979

G.S.R.77(E). In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Passports Rules, 1967—

- (i) in the entries against serial No. 3. in column 3, the word "Orissa", shall be omitted;
- (ii) after serial No. 15, the following serial No. shall be inserted, namely :—

1	2	3
"16(a) Passport Officer, Bhubaneswar (Passport Office, Bhubaneswar)		The State of Orissa
(b) Assistant Passport Officer, Bhubaneswar (Passport Office, Bhubaneswar)		-do-
(c) Public Relations Officer, Bhubaneswar (Passport Office, Bhubaneswar)		-do-
(d) Superintendent, Bhubaneswar, (Passport Office, Bhubaneswar)"		-do-

[VI/401/11/79]

K. D. SHARMA, Joint Secy.